

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 83/16-12

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र पुत्र दास को अंचल निरीक्षक श्री गजेन्द्र/एस का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कुशा थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 2415 दाग नं0 32 रकवा 01-10-14 किस्म परी कदीम श्री रोहीन खिदास पिता मकान खिदास साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री रोहीन खिदास को दिनांक 30/5/16 समय 11:00 AM पूर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

गजेन्द्र
20/5/16

अंचल अधिकारी,

महागामा।

30/5/16

अभिलेख संख्या 83/16-12। रोहीन खिदास पिता मकान खिदास के पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। उन्होंने R.O.R के प्रतिवेदन की बजाय प्रतिवेदन नहीं किया गया है। उन्होंने सत्य के रूप में कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया है। हल्का कर्मचारी को जांच से मुक्त करने के लिए R.O.R द्वारा अधोहस्ताक्षरी किया गया है। उक्त हल्का कर्मचारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रकृता सूत्र का अधोहस्ताक्षर सत्यापन प्रतिवेदन प्रकृता सूत्र के द्वारा सत्यापित करें। अधोहस्ताक्षरी दिनांक 11/5/16 को रखें।

गजेन्द्र
20/5/16

गजेन्द्र
20/5/16

sandha


11/8/16 अगले 3 पत्रों में निम्नी दस डोजों में दवाओं समर्थन
अगले दिनांक 27/8/16 को करें।

11/8/16
3/3/3/1

मिनी दवा

31/7/2020

अभिलेख व्यवहारित।
नोटिफ रिगत करें।

अं० म०
महागाम



05.01.2021


अभिलेख उपस्थापित।

राज उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक
महागाम से प्रसंगत शक्ति का गौणिक प्रातिवेदन के साथ
अभिलेखीय प्रातिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन
किया प्रातिवेदानुसार अर्थात् संदर्भ पत्र पंजी- II संयत
का शक्ति सहम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में अंचल
शक्ति ई० सी० स्थल ECL होल के आधिग्रहण होल के
अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित


अंचल आधिकारी
महागाम


अंचल आधिकारी
महागाम